

22.09.2022:-आज यह पत्रावली वादीगण के प्रार्थना-पत्र पर पेशी
में लिया गया। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया
गया। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश दर्गन द्वारा
वकालतनामा मय दस्तावेजात प्रस्तुत किया गया जो
शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता ने
प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण को
नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ दाखिल
दफतर फरमाया जावे। वादीगण अधिवक्ता को उक्त
प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया
जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद
अवलोकन वादीगण के फर्द अहकाम पर
अगुठा/हस्ताक्षर करवाये। वादीगण की पहचान
वादीगण अधिवक्ता श्री राकेश दर्गन द्वारा की गई।
अतः वादपत्र वादीगण मौजूदा सूरत में खारिज किया
जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद
तरकीज तकमिल दाखिल दफतर हो।

सत्यमेव जयते
Copy - Not Official



सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़